

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत तिलवाडा भरदार स्यांरी मोटर मार्ग से स्यांरी गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1 किमी०

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

संलग्न है

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

9.0

अतिशारी अभिलेख
लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग।

दिनांक 20 फरवरी 2015

/ अर्ध एवं संख्या (नियोजन विभाग) / 2014-15

विषय- वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभागीय जिला योजना के अन्तर्गत कार्यों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 497/XXVII(1)/2014 वित्त विभाग-1 दिनांक 29 मई 2014 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग को वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में जिला योजना के अन्तर्गत सामान्य (अनुदान संख्या-07) में कुल धनराशि ₹ 344598 (हजार ₹ 0 में) एकादशी 000 (अनुदान संख्या-30) में धनराशि 78516 (हजार ₹ 0 में) एवं टी 0 एस 0 00 (अनुदान संख्या-31) में कुल धनराशि 13096 (हजार ₹ 0 में) जिनका कुल योग 436200 (हजार ₹ 0 में) है, जो कि वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अधोहस्ताक्षरी के निवेदन पर रखी गई है।

मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या-747/405-वा 0 जि 0 यो 0 / रा 0 यो 0 आ 0 / 2013 दिनांक 04 जुलाई 2014 के द्वारा चालू योजनाओं हेतु गत वर्ष 2013-14 में विभागावार/योजनावार अनुमोदित परिव्यय को आधार मानते हुए 50 प्रतिशत की सीमा तक चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए धनराशि आहरित कर ली गयी है। पुनश्च मुख्य सचिव उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-1449/405-वा 0 जि 0 यो 0 / रा 0 यो 0 आ 0 / 2013 दिनांक 05 नवम्बर 2014 के द्वारा शासन में सामक विचारोपस्थित यह निर्णय लिया गया है, कि जिला योजना के अन्तर्गत संचालित चालू योजनाओं हेतु अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए धनराशि अवमुक्त कर ली जाय। जिससे विकास कार्यक्रमों की प्रगति में निरवरोध बनी रहे।

वर्ष 2014-15 में लोक निर्माण विभाग का अनुमोदित परिव्यय 1015.26 लाख ₹ 0 की आधार मानते हुए चालू योजनाओं हेतु अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए सामान्य (अनुदान संख्या-7) में 172.15 लाख ₹ 0 एवं एकादशी 000 (अनुदान संख्या-30) में 118.05 लाख ₹ 0 कुल धनराशि 290.20 लाख ₹ 0 (दो करोड़ इक्कीस लाख ₹ 0 मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने का प्रस्ताव विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उक्त बजट की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

- 1- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग जिला नियोजन समिति द्वारा पूर्व वर्ष की अनुमोदित कार्यों पर मासिक आयोजनागत परिव्यय के अनुसार ही किया जायेगा।
- 2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृति की जा रही है।
- 3- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट अनुमोदित वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सार्वजनिक प्राधिकारों की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पहले एका स्वीकृतियों अवश्य प्राप्त की ली जायें।
- 4- किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अभिलेख प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट अनुमोदित) तथा अन्य सुरामित वित्तीय नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5- उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरण किया जायेगा। योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विवरण नियोजन विभाग एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 6- स्वीकृत धनराशि के कसरे जा रहे विभिन्न कार्यों की पुनर्वर्ति एवं सम्पन्नता हेतु सम्बन्धित कार्यालयों को सूचित होगा।

- धनराशि का उपयोगोपरान्त कराये गये कार्यों की योजनावार/लाभार्थीवार/प्राग्वार सूची एवं व्यय विवरण को उपरोक्ता प्रमाण पत्र नियोजन विभाग तथा प्रशासकीय विभाग/शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में विभागीय मानकों का कड़ाई से पालन किया जाये। निर्माण कार्यों के लिए विभिन्न विभागों में कार्यरत अभियन्ताओं को सम्मिलित करते हुए तकनीकी गुणवत्ता का परीक्षण का निर्माण कार्यों का भौतिक स्थापन कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालयध्यक्ष का होगा।
- योजनाओं की माहवार/भौतिक प्रगति प्रत्येक माह की 3 तारीख तक जनपदीय नियोजन विभाग/मण्डल/शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
- स्वीकृति की जा रही धनराशि से आहरण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिला योजना में जनपदवार अनुमोदित प्लान आलेख एवं योजना के अनुसार धनराशि का आहरण एवं उपयोग की तत्काल आवश्यकता है। आहरण धनराशि का व्यय दिनांक 31-03-2015 तक पूर्ण करना आवश्यक होगा।
- अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 497/XXVII/(1)/2014 वित्त अनुभाग-1 दिनांक 29 मई 2014 एवं प्रमुख सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-747/405-व:0जि0यो0/रा0यो0आ0/2013 दिनांक 04 जुलाई 2014 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभाग के जनपदीय नोडल अधिकारी (जिला योजना) एवं कार्यालयध्यक्ष का होगा।
- निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/गु0रा0/2008 दिनांक 24 मार्च 2008 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलारतर/मण्डलरतर पर गठित तकनीकी गुणवत्ता परीक्षण समिति से योजनाओं के प्रावकलनों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही इन योजनाओं पर धनराशि व्यय की जाय।
- शासन के व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- जिला योजना एक वार्षिक योजना है अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष को बूक द्वारा या के माध्यम से सुरंगत प्राप्त लेखाशीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- किसी भी दशा में पी0एल0ए0 से धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।
- सम्बन्धित विभाग ऑन लाईन बजट आवंटन के पश्चात अपने डी0डी0ओ0 मॉड्यूल से बजट का पी0एल0ए0/डी0सी0एल0 में स्थानान्तरण करना सुनिश्चित करें।
- उक्त बजट आवंटन अनुदान संख्या-7 (सामान्य) लेखा शीर्षक 2515-102-12-00-01 मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत सामान्य (अनुदान संख्या-07) अलोटमेंट प्राईमरी H11502070633 दिनांक 7 फरवरी 2015 एवं एस0सी0एस0पी0 (अनुदान संख्या-30) H11502100000 H11502300478 दिनांक 5, 6 फरवरी 2015 के द्वारा व्यय किया जायेगा।

संलग्न:- सूची

पत्रांक 95 /जि0यो0/2014-15 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-

- 1- आयुक्त, मण्डल मण्डल फंड।
- 2- महाराजगढ़, लेखा एवं तकनीकी उत्तरदायित्व देकरादून।
- 3- सचिव, जिला (बजट अनुभाग) उत्तराखण्ड शासन देकरादून।
- 4- सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन देकरादून।
- 5- निरीक्षण, जमीन एवं सड़क, 100/6 समिति देकरादून।
- 6- जल संसाधन एवं निर्माण विभाग उत्तराखण्ड देकरादून।
- 7- जिला सार्वजनिकी रुद्रप्रयाग।
- 8- मुख्य विकास अधिकारी, रुद्रप्रयाग।
- 9- जमी एवं संख्याधिकारी, रुद्रप्रयाग।

सचिव
जिला मण्डल
रुद्रप्रयाग

जिला योजना समिति द्वारा प्रस्तावित नये कार्यों का विवरण व धनराशि

क्र.सं.	योजना का नाम	लम्बाई किमी० में सेतु स्पा में	ग्रामपंचायत नाम (लक्षित गाँव)
1	2		3
	सामान्य कार्य		
1	शुगाड़ी-कण्डाली मोटर मार्ग पर स्थित पुल से सूर्यप्रसाग मन्दिर तक मोटर मार्ग निर्माण 0.60 किमी०	0.60	10.00
2	अथोली जाखाल मोटर मार्ग पर बसिल गदेरे से दांतागैर तक मोटर मार्ग 1 किमी०।	1.00	12.60
3	सिनागांव से गहियाणाखाल तक मोटर मार्ग, 1 किमी० (प्रथम चरण)	1.00	12.60
4	तत्तपंदरा वहीलाखाल से इण्टर कालेज तक मोटर मार्ग का विस्तार 1 किमी०	1.00	15.00
5	ग्राम मोल्ग के पठवाड़ा गदेरे पर दुगड़डा नामक स्थान पर पुलिया निर्माण	एक मुश्त	10.00
6	ग्राम तोरियाल से रा०इ०का० लदोली तक पैदल रास्ते का निर्माण 1.50 किमी०	1.50	10.00
7	बच्छसू पट्टी में स्मूटी टैली पाटा मोटर मार्ग से मुस्सागांव तक मोटर मार्ग 1.50 किमी० (प्रथम चरण)	1.50	18.90
8	रा०इ०का० गडधार से ग्राम पंचायत चिनगवाड़ तक 2 किमी० मार्ग।	2.00	25.00
9	बरिल मोटर मार्ग से घाटधार होते हुए पुराने मोटर मार्ग होते हुए डांगरेरा मुर्दाघाट तक पैदल मार्ग 2 किमी०।	2.00	15.00
10	लिरवाला मोटर मार्ग के अवशेष 1 किमी० का डांगरीकरण	1.00	15.00
11	डांडाखाल मोटर मार्ग से भट्टगांव तक 1 किमी० सड़क निर्माण(प्रथम चरण)	1.00	12.60
12	मीड रायपुर के गदेरे में पुलिया निर्माण	एक मुश्त	10.00
13	ग्राम सभा जुन्टई के अन्तर्गत मरगांव से गाडला 1 किमी० सड़क निर्माण(प्रथम चरण)	1.00	12.60
14	अरखुण्ड से दासकोट तक मोटर मार्ग निर्माण(प्रथम चरण)	एक मुश्त	12.60
15	तिलवाड़ा-सौराखाल-स्याही मोटर मार्ग से स्याही गांव तक 1 किमी० सड़क निर्माण (प्रथम चरण)	1.00	12.60
16	गंगतल बैजी मोटर मार्ग के आरम्भ भाग का पुर्ननिर्माण।	एक मुश्त	5.00
17	गंगतल झूला पुल का अवशेष कार्य।	एक मुश्त	80.00
18	मयाली-गुप्तकाशी मोटर मार्ग से ग्राम झुंगर भटवाड़ी तक पैदल रास्ते का निर्माण	एक मुश्त	6.00
19	खाकरा-छांतीखाल पैदल मार्ग का अतिआवश्यक स्थानों पर चौड़ीकरण एवं दीवार निर्माण कार्य।	एक मुश्त	15.00
20	जवाडी भरदार बाईपास से मल्लारू-कोटली मोटर मार्ग के किमी० 1 के अतिग्रस्त भाग का पुनः निर्माण	1.00	13.00
21	ग्राम पंचायत तडाग में नैल गदेश में पुलिया निर्माण	एक मुश्त	10.00
22	ग्राम सभा बट्टी के अन्तर्गत बौड बवरगा वैड से झुंगर तक सड़क निर्माण, 1 किमी०(प्रथम चरण)	1.00	12.60
23	ग्राम जरवाड घोडधार से कार्तिक स्वामी मन्दिर दुग तक सीसी मार्ग, 1 किमी०	1.00	12.60

सिल्ली पैदल सेतु हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण	एक मुश्त	4 00 27
सामान्य कार्य (पुल्ल आवाय)	एक मुश्त	25.00
पुल्ल आवाय के अन्तर्गत अवशेष कार्य (सामान्य कार्य)		704.25
एस.सी.पी. कार्य	एक मुश्त	90.30
कोठगी मोटर पुल का अवशेष कार्य।	एक मुश्त	20.00
पुल्लमादेवपुर से धान्यौसारी तक पैदल मार्ग का निर्माण।	3.00	37.50
टिहरी-चनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग के फतेह से रा0इ0का0 बुझा नगेल-भैट-एकलिंग कछवालगांव-सुनारगांव घुसणगांव होते हुए धान्यौ तक मोटर मार्ग 3 किमी० (प्रथम खण्ड)	एक मुश्त	5.00
कोठगी झूला पुल पहुंच मार्ग पर रोडिंग का कार्य।	एक मुश्त	5.00
परकण्डी मोटर मार्ग से परकण्डी चिकित्सालय तक मोटर मार्ग का डामरीकरण।	एक मुश्त	15.00
घट्टी-रुमरी-छेला-काफल से चन्द्रेश्वर महादेव मन्दिर के अवशेष कार्य।	एक मुश्त	6.00
तालजागण से बड़ेश मन्दिर पर पुलिया निर्माण।	एक मुश्त	5.00
गाम बावई से क्यार्क तक पैदल मार्ग।		187.65
कुल योग:-		891.90

अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
खदप्रयाग

जिलाधिकारी
खदप्रयाग